

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1555 / 2013

संस्थापन दिनांक 17.12.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—जयकुमार उर्फ जैकी यादव उम्र 24 साल निवासी
लुहारपुरा वार्ड नं० 3 रामलीला भवन के पास कस्बा मौ
थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506बी भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 17.06.13 को 18:30 बजे फरियादी अशोक के घर के सामने मौ जिला भिण्ड पर फरियादी अशोक अ०सा००१ को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा फरियादी अशोक अ०सा००१ की मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा फरियादी अशोक अ०सा००१ को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.06.13 को शाम करीबन 06:30 बजे फरियादी अशोक अ०सा००१ संजीव पान वाले तिराहा से अपने घर जा रहा था जैसे ही वह हरी माली के घर के सामने आया तो पीछे से आरोपी जैकी उर्फ जयकुमार ने उसे रूकने के लिए आवाज दी जिससे वह रूक गया तब आरोपी ने उसके पास आकर गाली देते हुए कहा कि तूने मुझे पहले पुलिस में पकड़ाया था जब उसने मना किया तो आरोपी ने चांटे उसके मुंह में मारे और एकदम पिस्टल निकालकर उसकी कनपटी पर लगा दी तथा उसे जान से मारने की धमकी दी जब वह चिल्लाया तो खल्लीसिंह अ०सा००२ व सुरेन्द्रसिंह अ०सा००३ आ गये जिन्होंने बीच बचाव कराया। तत्पश्चात फरियादी अशोक अ०सा००१

ने थाना मौ में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से थाना मौ में अप0क्र0 93/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-
 1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 17.06.13 को 18:30 बजे फरियादी अशोक के घर के सामने मौ जिला भिण्ड पर फरियादी अशोक अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?
 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अशोक अ0सा01 की मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अशोक अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का सकारण निष्कर्ष //

5. अशोक अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 17.06.13 को 06:30 बजे वह संदीप पान वाले के यहां से अपने घर के लिए जा रहा था तब हरीमाली के मकान पर आरोपी ने आवाज लगायी तो वह रुक गया आरोपी ने उसे गालियां दी ओर 2-3 चांटे मारे और कहा कि उसने पुलिस से पकड़वाया है फिर कनपटी में देशी पिस्टल लगा दी फिर अनिल आ गया फिर आवाज सुनकर आरोपी वहां से भाग गया। फिर थाने पर जाकर उसने रिपोर्ट प्र0पी-1 लिखवाई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
6. खल्ली अ0सा02 ने कथन किया है कि दिनांक 17.06.13 को 18:00 बजे वह माली मोहल्ला स्थित अपने घर पर टी.वी. देख रहा था तब आवाज आई तो उसने देखा कि आरोपी जयकुमार अशोक अ0सा01 पर रिवातवर लगा रहा था उसने व सुरेन्द्र अ0सा03 ने बीच बचाव किया और फिर वापिस घर आ गया और अशोक रिपोर्ट लिखाने चला गया था।
7. सुरेन्द्र अ0सा03 ने घटना की जानकारी होने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 17.06.13 को आरोपी ने अशोक अ0सा01 को पिस्टल लगायी जिसमें उसने बीच बचाव किया था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
8. साक्षी डॉ0 आर0विमलेश अ0सा04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 17.06.13 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर कार्यरत थे उक्त दिनांक को आहत अशोक अ0सा01 का चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसमें आहत मुंह और दोनों गालों में व चेहरे पर दर्द की शिकायत बता रहा

था लेकिन कोई दृश्यमान चोट नहीं थी। उसके द्वारा तैयार की गयी चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. साक्षी निहालसिंह अ0सा05 ने कथन किया है कि वह दिनांक 17.05.13 को थाना मौ में एच.सी.एम. के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को अशोक अ0सा01 द्वारा आरोपी के विरुद्ध एफआईआर प्र0पी-1 लिखाई थी जो उसने लिखी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
10. विवेचक भैयालाल अ0सा06 ने कथन किया है कि वह दिनांक 18.06.13 को थाना मौ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को अशोक अ0सा01 की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी अशोक अ0सा01, सुरेन्द्र अ0सा03 व खल्ली अ0सा02 के कथन उनके बताये अनुसार लिखे थे आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-5 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
11. अतः सुरेन्द्र अ0सा03 ने स्वतंत्र साक्षी होते हुए अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। खल्ली अ0सा02 ने पैरा 2 में स्वीकार किया है कि अशोक अ0सा01 उसका चचेरा भाई है। अशोक अ0सा01 ने पैरा 2 में कथन किया है कि खल्ली अ0सा02 उसके चाचा का लड़का है और उसकी आरोपी से कोई रंजिश या झगड़ा नहीं है। लेकिन आरोपी ने उसकी मोटरसाइकिल चुरा ली थी लेकिन चोरी करते हुए नहीं देखा था लेकिन 2-3 लोगों ने पनिहाई के दस-दस हजार रुपये दिलाने की कहा था लेकिन उसने इस संबंध में पुलिस को सूचना नहीं दी। उसकी मोटरसाइकिल आज तक नहीं मिली है। मोटरसाइकिल के संबंध में उसने केवल आवेदन पुलिस को दिया था लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कराई और थाने के अलावा उसने अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी को आवेदन नहीं दिया था और पैरा 3 में कथन किया है कि वह 8-9 माह से अपनी मोटरसाइकिल बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहा था। खल्ली अ0सा02 ने भी पैरा 3 में स्वीकार किया है कि घटना अशोक अ0सा01 की मोटरसाइकिल चोरी चली गयी थी लेकिन इस साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि मोटरसाइकिल आरोपी ने ही चुराई थी। अशोक अ0सा01 द्वारा भी मूल्यवान संपत्ति मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद अपराधी का पता ज्ञात होने के बाद भी पुलिस के समक्ष कोई साधारण कार्यवाही नहीं की गयी है जोकि पूर्णतः अस्वाभाविक है।
12. अभियोजन मामले में घटना का कारण एफआईआर प्र0पी-1 में यह उल्लिखित है कि फरियादी ने पुलिस से आरोपी को पकड़वाया था जबकि अशोक अ0सा01 ने न्यायालयीन कथन में आरोपी से पूर्व का कोई झगड़ा होना भी अस्वीकार किया है जिससे एफआईआर प्र0पी-1 में उल्लिखित घटना के कारण की संपुष्टि न्यायालयीन साक्ष्य से नहीं होती है अपितु न्यायालयीन साक्ष्य में अशोक अ0सा01 ने घटना का अन्य ही कारण बताया है कि आरोपी ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली थी जो भी उपरोक्तानुसार विश्वसनीय प्रतीत नहीं हुआ है क्योंकि मोटरसाइकिल जैसी मूल्यवान संपत्ति चोरी होने के बाद अपराधी ज्ञात होने पर भी फरियादी ने कोई सारवान कार्यवाही नहीं की जिससे घटना का कारण ही स्पष्ट नहीं होता है और न्यायालयीन साक्ष्य व विवेचना के चरण पर प्रथक-प्रथक तथ्य उत्पन्न हुए हैं। उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को एफआईआर प्र0पी-1 में न लिखवाये जाने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है।

13. अशोक ने पैरा 3 में कथन किया है कि आरोपी के पास लाइसेन्सी रिवाल्वर नहीं है और चोरी की रिवाल्वर है। खल्ली अ0सा02 ने भी आरोपी द्वारा आयुध लगाया जाना बताया है लेकिन उसने पिस्टल के स्थान पर रिवाल्वर लगाया जाना बताया है जबकि अशोक अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में पिस्टल लगाया जाना बताया है। अतः दोनों ही साक्षीगण ने अलग-अलग आयुध बताये हैं और उपयोग किया गया आयुध अभियोजन मामले में जप्त भी नहीं हुआ है। विवेचक भैयालाल अ0सा06 ने भी आरोपी से आयुध जप्त करने का कोई प्रयास किया ऐसा कथन नहीं किया है।
14. अशोक अ0सा01 ने यह कथन नहीं किया है कि आरोपी ने क्या गालियां दी जिससे कि समाधान हो सके कि आरोपी द्वारा उच्चारित शब्द अश्लील प्रकृति के थे ना ही इस संबंध में कोई कथन किया है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी इस संबंध में अभियोजन द्वारा साक्षी से सुझाव स्वरूप प्रश्न भी नहीं पूछे गये हैं। अतः अशोक अ0सा01 का उक्त कथन अभियोजन पर बंधनकारी है जिससे आरोपी द्वारा अशोक अ0सा01 को अश्लील गालियां दी जाना और अभित्रासित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।
15. अतः स्वतंत्र साक्षी सुरेन्द्र अ0सा03 जिसकी उपस्थिति खल्ली अ0सा02 ने मुख्यपरीक्षण में बतायी है ने न्यायालयीन साक्ष्य में कोई घटना घटित होने से इंकार किया है। खल्ली अ0सा02 फरियादी का नातेदार साक्षी है जिसने भी आरोपी द्वारा चांटे मारे जाना देखना नहीं बताया है और मात्र आरोपी द्वारा रिवाल्वर लगाया जाना बताया है जबकि अशोक अ0सा01 ने देशी पिस्टल लगाया जाना बताया है अतः इस एक मात्र बिन्दु पर भी खल्ली अ0सा02 ने अशोक अ0सा01 के कथन का समर्थन नहीं किया है। अतः उपहति के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में मात्र अशोक अ0सा01 के कथन अभिलेख पर हैं। अशोक अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि और लोग आ गये तो आरोपी वहां से भाग गया लेकिन पक्ष समर्थन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का अभियोजन ने परीक्षण नहीं कराया है। अशोक अ0सा01 ने आरोपी द्वारा 2-3 चांटे मारना बताया है लेकिन घटना के कारण के संबंध में ही उसके कथन अविश्वसनीय और अस्वाभाविक हैं जिसका लोप रिपोर्ट प्र0पी-1 में भी है। अशोक अ0सा01 ने आरोपी द्वारा अश्लील गालियां दिया जाना और जान से मारने की धमकी दिया जाना भी रिपोर्ट प्र0पी-1 के अनुसार न्यायालयीन साक्ष्य में नहीं बताया है अतः एफआईआर प्र0पी-1 भी अतिरंजनापूर्ण अंकित कराई गयी है घटना में प्रयुक्त महत्वपूर्ण हथियार भी विवेचना में जप्त नहीं हुआ है और न ही उसे जप्त किए जाने का कोई प्रयास करना विवेचक ने बताया है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्य एकल साक्षी अशोक अ0सा01 के कथन को संदेहास्पद बनाते हैं जिससे कि उसके कथन निर्भर रहने योग्य नहीं है।
16. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 17.06.13 को 18:30 बजे फरियादी अशोक के घर के सामने मौ जिला भिण्ड पर फरियादी अशोक अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा फरियादी अशोक अ0सा01 की मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा फरियादी अशोक अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

17. परिणामतः आरोपी को धारा 294, 323, 506बी भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
18. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)